



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल

(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION

(Set up by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक / परीक्षा—1 / May-June 26/ Q

भोपाल, दिनांक 30/04/2026


:: संशोधित अधिसूचना ::

विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा अधिसूचना क्रमांक **Exam-1/ May-June 26/258 Dated 26.03.2026** के अनुक्रम में जारी संशोधित अधिसूचना क्रमांक/परीक्षा/ May-June 2/310 भोपाल, दिनांक **04/04/2026 / 09/04/2026** में छात्रहित देखते हुए सभी पाठ्यक्रमों के परीक्षा फार्म भरे जाने के विलम्ब शुल्क में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता है :-

S. No.	Particulars	Date of Link Open (Exam Forms) by Associated Study Institutes
B	With Late Fee of Rs. 500 per Form (On 4th May only)	04 May 2026 (केवल 01 दिन के लिए)

शेष नियम एवं शर्तें पूर्व में परीक्षा सत्र **मई-जून 2026** के लिए जारी परीक्षा अधिसूचना क्रमांक **Exam-1/ May-June 26/258 Dated 26.03.2026** के अनुसार रहेंगी। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी आवश्यक रूप से उक्त तिथि में अपना परीक्षा फार्म भर लें।

इसके पश्चात् किसी भी स्थिति में परीक्षा फार्म स्वीकार नहीं किए जा सकेंगे।



(डॉ. पी. शशिकला)
प्रभारी कुलसचिव

क्रमांक क्रमांक / परीक्षा-1/ May-June 26/Q

भोपाल, दिनांक 30/04/2026

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक कुलगुरु, कुलसचिव को सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय शैक्षणिक विभाग / समस्त परिसर प्रभारी भोपाल / खण्डवा / रीवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. निदेशक, ए.एस.आई. को सूचनार्थ। कृपया संशोधित अधिसूचना से सभी संबद्ध अध्ययन संस्थाओं को अवगत करायें।
4. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सहायक कुलसचिव, गोपनीय / परीक्षा / नामांकन / मूल्यांकन / उपाधि शाखा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. संचालक, एम.पी ऑनलाईन लिमिटेड को सूचनार्थ। कृपया समस्त पाठ्यक्रमों के नियमित एवं बैकलॉग विद्यार्थियों के परीक्षा फार्म भरने हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि में लिंक ओपन करें एवं इसकी सूचना संबद्ध अध्ययन संस्थाओं के अधिकृत मेल पर प्रेषित किए जाने की व्यवस्था भी करें।
8. समस्त संचालक/प्रभारी, संबद्ध अध्ययन संस्था को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


(डॉ. पी. शशिकला)
प्रभारी कुलसचिव